



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jodhpur@vahoo.com वेब- साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265615 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/114

दिनांक:- 17/04/2023

-:कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र समिति जोन-2 (ले-आउट प्लान) की 11/2023 की बैठक दिनांक 13.04.2023 को आयुक्त महोदय, जोधपुर, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

एजेण्डा संख्या 01 :-

विषय:- भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की जोन-2 की 01/2022 वीं बैठक दिनांक 20.12.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय:- समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 02 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
13.04.2023	जोन-2	भाकरासनी	164/1	1.5783 हैक्टेयर	आवासीय योजना
आवेदक	श्री राजुसिंह पुत्र श्री ईश्वरराम मीना				
विषय:-	राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 164/1 रकबा 1.5783 हैक्टेयर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none">01. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 80 फीट रखे जानें हेतु सड़क मध्य से 40 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावें।02. योजना में Overhead Water Tank निर्माण हेतु स्थल को मानचित्र पर दर्शाया जावें।03. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।04. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार एवं नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावें।05. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।06. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।07. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।				

एजेण्डा संख्या 03 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
13.04.2023	जोन-2	भाकरासनी	70	16997 वर्गमीटर	आवासीय
आवेदक	श्रीमती मंजु पत्नी श्री जगदीश				
विषय:-	राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 70 रकबा 16997 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				

1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई पूर्व कमिटमेंट अनुसार 30 मीटर है अतः सड़क मध्य से 15 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि निःशुल्क समर्पित करवाई जावे।
2. योजना में Overhead Water Tank निर्माण हेतु स्थल को मानचित्र पर दर्शाया जावे।
3. आवेदित भूमि के अग्र भाग से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं नियमानुसार रोफटी कोरिडोर का प्रावधान रखा जावे।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार एवं नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
8. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।

एजेण्डा संख्या 04 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
13.04.2023	जोन-2	गुडा विश्वोईयान	891 / 153	1.6490 है में से 06.12.19 बीघा	नॉन पाल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज
आवेदक	श्री भरत दिनेश पुत्र श्री देवीलाल दिनेश				
विषय:-	राजस्व ग्राम गुडा विश्वोईयान के खसरा संख्या 891 / 153 रकबा 1.6490 है में से 06.12.19 बीघा में नॉन पाल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को कटाण रास्ते से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है उक्त रास्ते को 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में रास्ते के मध्य से 9 मीटर भूमि मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 2. आवेदित भूमि से लगती हुई जोनल डवलपमेंट प्लान की 48 मीटर सड़क गुजर रही है। अतः सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से निःशुल्क समर्पित करवाई जावे। 3. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू-उपयोग में नॉनपॉल्यूटिंग हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आस-पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर सेटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 5. आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ ओद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नोन-पोल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 				


8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 05 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
13.04.2023	जोन-2	कुडी भगतासनी	288/1, 288/2 व 289/2	06.07.00 बीघा	आवासीय
आवेदक	श्री ढलाराम, श्री जगदीश पुत्रान् श्री नारायण राम एवं श्री वंशीलाल पुत्र श्री मोहनराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 288/1, 288/2 व 289/2 रकबा 06.07.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर है अतः सडक मध्य से 9 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि निःशुल्क समर्पित करवाई जावें। 2. योजना में Overhead Water Tank निर्माण हेतु स्थल को मानचित्र पर दर्शाया जावें। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार एवं नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बावत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बावत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 				

एजेण्डा संख्या 06 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
13.04.2023	जोन-2	झालामण्ड	460/4	04.10.00 बीघा में से 03.10.19 बीघा	होटल (पर्यटन इकाई)
आवेदक	श्रीमती गजरी देवी पत्नी श्री धमेन्द्र बेनिवाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 460/4 रकबा 04.10.00 बीघा में से 03.10.19 बीघा में होटल (पर्यटन इकाई) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 15 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावें। 2. आवेदित भूमि से लगती हुई जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सडक गुजर रही है। अतः सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से निःशुल्क समर्पित करवाई जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के विन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2018 को जारी आदेश अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि बावत् नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 				




5.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 07 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
13.04.2023	जोन-2	झालामण्ड	763/2 व 764/2	1.91705 हैक्टेयर	आवासीय
आवेदक	श्री मादाराम, श्री पिन्दु कुमार व श्री ताराचंद पुत्रान् श्री श्रवणकुमार				
विषय:-	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 763/2 व 764/2 रकबा 1.91705 हैक्टेयर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर है अतः सड़क मध्य से 15 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि निःशुल्क समर्पित करवाई जावे। 2. योजना में Overhead Water Tank निर्माण हेतु स्थल को मानचित्र पर दर्शाया जावे। 3. आवेदित भूमि के अग्र भाग से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदनुसार सेफ्टी कोरिडोर छोड़ा जावे। 4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार एवं नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 8. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। 				

एजेण्डा संख्या 08 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
13.04.2023	जोन-2	झालामण्ड	179/2	00.06.00 बीघा	व्यवसायिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती कमला पत्नी श्री मनोहरलाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 179/2 रकबा 00.06.00 बीघा में व्यवसायिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि के पीछे राजस्व रिकार्ड अनुसार गै.मु बाला है जिसके सहारे जोनल डवलपमेंट प्लान एवम् अग्र भाग में मास्टर डवलपमेंट प्लान प्रावधान अनुसार वृक्षारोपण पट्टी के उपरान्त पर्याप्त निर्माण योग्य क्षेत्रफल नहीं बचता है अतः प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।				



एजेण्डा संख्या 09 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
13.04.2023	जोन-2	वासनी बाघेला	136/84, 138/84 व 142/137	12059 वर्गमीटर	आवासीय
आवेदक	श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री इश्वरसिंह				
विषय:-	राजस्व ग्राम वासनी बाघेला के खसरा संख्या 136/84, 138/84 व 142/137 रकबा 12059 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 60 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. योजना में Overhead Water Tank निर्माण हेतु स्थल को मानचित्र पर दर्शाया जावे। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार एवं नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। 				

एजेण्डा संख्या 10 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
13.04.2023	जोन-2	झालामण्ड	853, 853/3	05.07.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती चम्पा पत्नी श्री केवलराम, श्रीमती लीला पत्नी श्री ओमाराम, श्री नारायणराम पुत्र श्री गुणेशराम एवं श्रीमती राजुडी पत्नी श्री भीकाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 853, 853/3 रकबा 05.07.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में मुख्य सडक से आवेदित भूमि तक उपलब्ध पहुँच मार्ग की मौका स्थिति व राजस्व रिकार्ड के परिप्रेक्ष्य में जोन से स्पष्ट टिप्पणी प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 11 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
13.04.2023	जोन-2	पेशावास	112/4	03.03.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री बाबुलाल पुत्र श्री गुणेशराम जी				
विषय:-	राजस्व ग्राम पेशावास के खसरा संख्या 112/4 रकबा 03.03.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावे। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी रखी जावे। 				

— 6


	<ol style="list-style-type: none"> 2. नियमानुसार समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
--	--

एजेण्डा संख्या 12 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
13.04.2023	जोन-2	खेजडली कंला	369/5, 369/6	06.00.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री बाबुलाल पुत्र श्री उदाराम एवं श्री दौलाराम पुत्र श्री हरदानराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम खेजडली कंला के खसरा संख्या 369/5, 369/6 रकबा 06.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावे। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी रखी जावे। 2. नियमानुसार समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 13 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
13.04.2023	जोन-2	खेजडली कंला	369/7, 369/8	03.10.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री बाबुलाल पुत्र श्री उदाराम, श्री रमेश पुत्र श्री हरदानराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम खेजडली कंला के खसरा संख्या 369/7, 369/8 रकबा 03.10.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				




1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावें। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी रखी जावें।
2. नियमानुसार समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 14 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
13.04.2023	जोन-2	खेजडली कंला	369/4, 369/5	06.01.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री बाबुलाल पुत्र श्री उदाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम खेजडली कंला के खसरा संख्या 369/4, 369/5 रकबा 06.01.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				
	1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावें। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी रखी जावें।				
	2. नियमानुसार समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।				
	3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।				
	4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।				
	5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेण्डा संख्या 15 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
13.04.2023	जोन-2	भाकरासनी	85/3, 97/9	08.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री महावीर लुणिया पुत्र श्री जवरीलाल व श्रीमती करुणा जैन पत्नी श्री महावीर लुणिया				
विषय:-	राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 85/3, 97/9 रकबा 08.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				



निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 60 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 2. योजना में Overhead Water Tank निर्माण हेतु स्थल को मानचित्र पर दर्शाया जावें। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार एवं नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
----------	--

एजेण्डा संख्या 16 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
13.04.2023	जोन-2	विनायकियां	86	01.16.00 बीघा	आवासीय एकल
आवेदक	श्री भगवान पुत्र श्री अचलाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम विनायकियां के खसरा संख्या 86 रकबा 01.16.00 बीघा में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 36 मीटर है अतः सडक मध्य से 18 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि निःशुल्क समर्पित करवाई जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 17 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
13.04.2023	जोन-2	झालामण्ड	160/6	02.14.00 बीघा	व्यवसायिक एकल
आवेदक	मैसर्स पंचमुखी विश्वकर्मा रियल एस्टेट बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स जरिये भागीदार श्री पूनाराम जांगिड पुत्र श्री हरचन्द्रराम जांगिड				
विषय:-	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 160/6 रकबा 02.14.00 बीघा में व्यवसायिक योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावें। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी रखी जावें। 				

2. आवेदित भूमि के पीछे खसरा संख्या 194 राजस्व रेकॉर्ड अनुरार गै.मु वाला है अतः जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार नियमानुसार वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावे।
3. आवेदित भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग से पहुँच मार्ग दर्शाया गया है अतः पट्टा जारी करने से पूर्व एच.एच.ए.आई से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 18 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
13.04.2023	जोन-2	कुडी भगतासनी	316, 317, 319/1, 332	01.00.00 बीघा	आवासीय एकल
आवेदक	श्री प्रवीण खत्री पुत्र डॉ एम.एल खत्री				
विषय:-	राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 316, 317, 319/1, 332 रकबा 01.00.00 बीघा में आवासीय एकल प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि के सामने मास्टर डवलपमेंट प्लान में दर्शित 60 मीटर सडक को जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुरूप विलोपित किए जाने तक स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 19 :-


बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
13.04.2023	जोन-2	भाकरासनी	323/147	0.6831 है०	आवासीय योजना
आवेदक	श्री अशोक पुत्र श्री गोरधनराम, श्रीमती कमला पत्नी श्री गोरधनराम एवं श्रीमती सीमा पुत्र श्री गोरधनराम पत्नी श्री दीपक				
विषय:-	राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 323/147 रकबा 0.6831 है० में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. योजना में Overhead Water Tank निर्माण हेतु स्थल को मानचित्र पर दर्शाया जावे। 3. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग मौके पर निर्मित होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार एवं नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				



एजेण्डा संख्या 20 :-

बैठक दिनांक	जोन	3	खरारा संख्या	रकबा	प्रयोजन
13.04.2023	जोन-2	झालामण्ड	438/5 व अन्य	25.11.04 बीघा	औद्योगिक (मेडिकल ऑक्सीजन प्लाण्ट)
आवेदक	मैसर्स सतीश कुंती गोयल मेडिकल फाउण्डेशन प्रा.लि जोधपुर जारिय डायरेक्टर श्रीमती सुभाषिनी गोयल पत्नी श्री आनन्द गोयल				
विषय:-	राजरव ग्राम झालामण्ड के खरारा संख्या 438/5 व अन्य रकबा 25.11.04 बीघा में औद्योगिक (मेडिकल ऑक्सीजन प्लाण्ट) एकल प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none">1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 15 मीटर भूमि में से प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।2. आवेदित भूमि के पश्चिम में जौजरी नदी के सहारे नदी की राजरव सीमा के पश्चात् वृक्षा रोपण पट्टी व 30 मीटर सड़क का अंकन मानचित्र में किया जावे।3. आवेदित भूमि का पूर्व में चिकित्सा सुविधा (मेडिकल ऑक्सीजन प्लाण्ट) प्रयोजनार्थ 90/क आदेश जारी किया गया अतः औद्योगिक (मेडिकल ऑक्सीजन प्लाण्ट) संशोधित 90/क आदेश जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया।4. आवेदित भूमि में प्रस्तावित सुविधा क्षेत्र का भौतिक कब्जा प्राप्त किये जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया।5. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता बाबत टिप्पणी प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर का प्रावधान किया जावे।6. मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.11.2022 के विन्दु संख्या 14 की तालिका-11 के क्रम संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटवेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।7. आवेदक भूमि का उपयोग केवल मात्र औद्योगिक (मेडिकल ऑक्सीजन प्लाण्ट) हेतु ही करेगा एवं अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधि अनुज्ञेय नहीं होगी। इस बाबत प्रार्थी से शपथपत्र प्राप्त कर ही पट्टा जारी किया जावे।8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजरव प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


13/04/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव


भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/115-119. दिनांक:- 17/04/2023

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
03. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
04. उपायुक्त (जोन-2), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।



17/04/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 11/2023 वीं बैठक दिनांक 13.03.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री मनोज सौलकी, उपायुक्त (जोन-2) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


17/04/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर